निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 265) पटना, शुक्रवार, 6 फरवरी 2015

सं0 4 / RAY-27/2014—638 / न0वि0एवं0आ0वि0

नगर विकास एवं आवास विभाग

————————

संकल्प

2 फरवरी 2015

विषयः— राजीव आवास योजना के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत पटना, गया, दरभंगा, कटिहार तथा पूर्णिया में 10203 आवासों एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नगर निकायों को कार्यान्वयन एजेंसी नामित करने तथा लाभुकों के माध्यम से आवासीय इकाईयों का निर्माण करने के संबंध में।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.11.14 के मद सं0—51 के आलोक में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत पटना नगर निगम फेज—I के लिए कुल ₹2815.83 लाख पटना फेज—II के लिए ₹3857.62 लाख पटना फेज—III के लिए 4909.91 लाख गया फेज—I के लिए 7589.80 लाख दरभंगा फेज—I के लिए 8056.43 लाख कटिहार फेज—I के लिए 8841.84 लाख एवं पूर्णिया फेज—I के लिए 9393.97 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में मंत्रिपरिषद से प्राप्त है।

2. उपरोक्त कुल सात परियोजनाओं की राज्यांश की राशि वित्तीय वर्ष 2014—15 में मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत निकासी कर बिहार शहरी विकास अभिकरण के खाता में संचित है। उपर्युक्त सभी सात परियोजनाओं के लिए मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत बुडको को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया था, लेकिन बुडको द्वारा अभी तक मात्र बहुमंजिली इमारतों के लिए ही निविदा प्रकाशित किया गया है। बुडको द्वारा निविदा प्रकाशन के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के फलस्वरूप विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि बहुमंजिली इमारत को छोड़कर शेष अन्य आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए संबंधित नगर निकाय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया जाय। उल्लेखनीय है कि IHSDP योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निकायों के माध्यम से कराया जा रहा है जिसकी सफलता अपेक्षाकृत उत्साहवर्द्धक है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी एक मंजिला आवासीय इकाईयों का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों के माध्यम से IHSDP योजना के तर्ज पर लाभुकों द्वारा निर्माण कराया जायेगा तथा आधारभूत संरचना से संबंधी कार्य संबंधित नगर निकाय द्वारा निविदा के माध्यम से की जायेगी।

3. पटना फेज—III के लिए स्वीकृत बहुमंजिली आवासीय इकाई तथा आधारभूत संरचना का कार्यान्वयन बुडको के माध्यम से की जायेगी।

4. उल्लेखनीय है कि IHSDP योजना का कार्यान्वयन लाभुकों के माध्यम से नगर निकायों के द्वारा कराया जा रहा है। जिसका अनुश्रवण, कुशल मानव संसाधन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन की पूर्व स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10.12.2013 के मद सं0—31 में दी गयी है।

5. चूकि नगर निकायों के पास उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है। अतः कार्यहित में प्रत्येक नगर निकाय इस योजना हेतु प्रबंधन एवं Supervision के लिए IHSDP के तर्ज पर परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) का गठन करेगा जो उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में नगर निकायों को मानव संसाधन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगा। नगर निकायों में IHSDP के अन्तर्गत कार्यरत परियोजना प्रबंधन इकाई/राजीव आवास योजना के लिए भी परियोजना प्रबंधन इकाई का कार्य करेगा। शेष नगर निकायों के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन संबंधित नगर निकायों के द्वारा पारदर्शी निविदा के माध्यम से विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जायेगा। इन योजनाओं के लिए स्वीकृत DPR Preparation, Project Management, Supervision तथा Quality Control के मद में स्वीकृत परियोजना लागत की 5% की राशि में से DPR Preparation Cost की राशि 0.75 प्रतिशत की दर से घटा कर अवशेष 4.25% राशि के अन्दर परियोजना प्रबंधन इकाई को एकरारनामा के अनुसार भुगतान की जायेगी।

6. राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य मलिन बस्तियों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा एवं अन्य आधारभूत संरचानाएं जैसे सड़क, नाला, सामुदायिक भवन एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना है जिससे उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके तथा मलिन बस्तियों का विकास रोका जा सके।

7. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु IHSDP के अनुरूप राजीव आवास येाजना की भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में एक मार्गदर्शक दिशानिर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

8. आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/संबंधित नगर निकायों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बी0 राजेन्दर,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 265-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in